राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **सुमन देवी II, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :– 109 / 2020 **जी.सी.एम.एस नम्बर :–** 2020 / 00229

1. सुलतान सिंह पुत्र भाताराम उम्र 46 साल जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

...............वादी

–ब ना म–

1. सुभाष चन्द पुत्र भाताराम (फौत)
   1/1 धर्मकोर पत्नी सुभाष
   1/2 सुमित पुत्र सुभाष
   1/3 सचिन पुत्र सुभाष
2. जयपाल सिंह पुत्र भाताराम (फौत)
   2/1 चन्द्रकलां पत्नी जयपाल सिंह
   2/2 रवि पुत्र जयपाल सिंह
   2/3 रिना पुत्री जयपाल सिंह जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. रणजीत सिंह पुत्र भाताराम
4. धन्नी देवी पत्नी भाताराम
5. सिलोचना पुत्री भाताराम
   समस्त जाति जाट निवासी निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
6. अनिता पुत्री राजबीर जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
7. खजानी पत्नी राजबीर जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
8. सन्दीप पुत्र राजबीर जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
9. कर्ण सिंह पुत्र देवीचन्द जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
10. हजारी सिंह पुत्र देवीचन्द जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
11. जयपाल पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
12. वेदप्रकाश पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
13. सजना पत्नी रणधीर जाति जाट निवासी ढाणी राध[illegible] बुहाना जिला झुंझुनू राज0
14. अरविन्द पुत्र रणधीर जाति जाट नि[illegible]जिला झुंझुनू राज0
15. सन्तोष पुत्री रणधीर जाति जाट निवासी ढाणी राधु त[illegible]ल बुहाना जिला झुंझुनू [illegible]
16. मालाराम पुत्र श्योनाथ जाति जाट निवासी ढाणी राधु [illegible]सील बुहाना जिला झु[illegible]ज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

17. मंगलाराम पुत्र श्योनाथ जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
18. रोहिताश पुत्र श्योनाथ जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
19. होशियार सिंह पुत्र श्योनाथ जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
    19/1 शशी कुमार पुत्र होशियार सिंह
    19/2 रवि कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
20. समाकौर पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
21. शान्ति पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
22. बिमला पत्नी रणधीर जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
23. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बडबर जरिये शाखा प्रबन्धक बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू राज0
25. सुनील पुत्र राजबीर जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना।
26. सुनिता पुत्री राजबीर जाति जाट निवासी ढाणी राधु तहसील बुहाना।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1. श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता – वादी की ओर से।
2. श्री कृष्ण कुमार सैनी व रजनीश एडवोकेट – प्रति. सं. 2 व 18, 19 लगा. 21 की ओर से । एवं शेष प्रतिवादीगण के विरुद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. श्री अशोक यादव, अधिवक्ता – प्रति. सं. 1/1, 1/2 की ओर से।

<u>दावा बाबत –खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा</u>

–: निर्णयः– दिनांकः– 26/6/25

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र – खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा इन संक्षिप्ततः अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया गया है

1. यह कि वाके ग्राम ढाणी राधु स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 6 के ख. न. 108 रकबा 4.20 है0, ख.न. 113 रकबा 2.51 है0, ख.न. 115 रकबा 5.42 है0, ख.न. 116 रकबा 0.05 है0, ख.न. 117 रकबा 6.30 है0, ख.न. 49 रकबा 4.06 है0, ख.न. 5 रकबा 2.23 है0, ख.न. 53 रकबा 2.16 है0, ख.न. 6 रकबा [illegible] है0, ख.न. 78 रकबा 0.03है0, ख.न. 79 रकबा 0.03 है0, ख.न. 94 रकबा [illegible] है0, ख.न. 95 रकबा 0.15 है0, ख.न. 96 रकबा 0.56 है किता 14 कुल रकबा 30.04 है. संयुक्त [illegible] खातेदार काश्तकार वादी व प्रति. सं. 1 लगायत 24 दर्ज रिकार्ड है जिसमे वादी का 71/1638 हिस्सा, प्रति.सं. 1 का 71/1638

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

हिस्सा, प्रति. सं. 2 का 71/1638 हिस्सा, प्रति.सं. 3 का 71/1638 हिस्सा, प्रति. सं. 4 का 71/1638 हिस्सा, प्रति. सं. 5 का 71/1638 हिस्सा, प्रति.सं. 6 लगा. 10 का 5/150 हिस्सा, प्रति.सं. 11 का 1/12 हिस्सा, प्रति. सं. 12 का 1/12 हिस्सा, प्रति. सं. 13 का 1/30 हिस्सा, प्रति. सं. 14 का 1/30 हिस्सा, प्रति. सं. 15 लगा. 17 का 1/30 हिस्सा, प्रति.सं. 18 का 1/12 हिस्सा, प्रति. सं. 19 का 1/12 हिस्सा, प्रति.सं. 20 का 1/12 हिस्सा, प्रति.सं. 21 का 1/12 हिस्सा, प्रति. सं. 22 का 10/273 हिस्सा, प्रति.सं. 23 का 5/273 हिस्सा, प्रति.सं. 24 का 5/273 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

2. वाद वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उसी अनुसार अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज कास्त है वादी ने अपने हिस्से की भूमि में मकानात बनाकर आबाद है सभी खातेदार अपने हिस्से अनुसार कास्त करते आ रहे है।

3. प्रति. सं. 5 वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की सगी बहिन है जिसका वाद वर्णित भूमि में 71/1638 हिस्सा दर्ज है लेकिन प्रति. सं. 5 का कहीं पर भी कोई कब्जा कास्त नहीं है लेकिन प्रति. सं. 5 के हिस्से में 1.30 है. भूमि आती है। जिसमें वादी के हिस्से में 0.26 है. हिस्सा आत है जिसको वादी अपने 1.30 है. भूमि के साथ कास्त करता है यानि की वादी अपना 71/1638 में 1.30 है. रकबा 0.26 है. कुल 1.56 है. भूमि मौके पर कास्त कर रहा है। वाद वर्णित भूमि का विधिवत रुप से बंटवारा नही हुआ है। मौके पर बाहमी बंटवारा के अनुसार सभी खातेदार कास्त करते आ रहे है तथा कुछ ने अपने हिस्से की भूमि पर मकान बना रखे है इसलिए भूमि कास्त को लेकर व भूमि सुधार को लेकर व रास्ते को लेकर आये दिन विवाद रहता है इसलिए वादी ने अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने का निश्चय किया है जब वादी ने प्रतिवादीगण से खाता विभाजन के लिए कहा तो प्रति. सं. 1 भी अपने मकानों तक जाता है उसको बन्द कर दिया तथा वादी के साथ मारपीट करना शुरु कर दिया। प्रति. सं. 1 ने शराब की बोतल वादी के सिर में मारी जिसे वादी के सिर पर गम्भीर चोट आई व 7-8 टांके लगे है वादी अकेला ही था प्रति. सं. 1 व उसके बच्चों में अधिक है इसलिए वादी को जबरन अपने हिस्से की भूमि व मकानों तक नही जाने दे रहे है इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक होता है कि वो अपनी भूमि का खाता विभाजन करवा कर विभाजन में रास्ता कायम करवाये तथा प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि जब तक वाद का अन्तिम रुप से निर्णय ना हो तब तक वादी को उसकी भूमि को कास्त करने में व उसके मकानों तक आने जाने से ना रोके। ऐसा ना स्वंय करे तथा ना ही किसी अन्य से करावें।

4. वाद पत्र के खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि में बाहमी बंटवारा के अनुसार वादी ख.न. 115 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 71/1638 रकबा 1.30 है. तथा प्रतिवादी सं. 5 का 0.26 है. कुल 1.56 है. हिस्सा कास्त कर रहा है त[illegible] है।

5. वाद वर्णित भूमि ख.न. 115, 117 के उत्तर में [illegible] 11[illegible] का खातेदार धर्मपाल है तथा उसके उत्तर में ख.न. 137/109 है [illegible] धारा 251 क के तहत कायम किया गया है तथा ख.न. [illegible] पाल पूर्वी मेढ के सहारे-सहारे ख.न. 117 तक रास्ता मौके पर छोड़ रखा है इसी रास्त[illegible] होते हुए वादी अपनी खातेदारी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

ख.न. 117 में से आगे चलकर ख.न. 115 जिसमें हिस्सा वादी को सम्पूर्ण हिस्सा आया हुआ है व अपने मकान बना रखे है उस तक आवागमन करता है ट्रेक्टर, गाडी लेकर आता है लेकिन गत सप्ताह से प्रतिवादी सं. 1 व उसके बच्चे वादी को उसकी भूमि व मकानों तक आने जाने मे व्यवधान पैदा कर रहे है। इसी के चलते वादी के साथ लडाई झगडा करके वादी के साथ मारपीट करके बोतल से सिर फोड दिया। इसलिए वादी को यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। जो सावधि पेश है।

6. यह कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में जब तक विधिवत बंटवारा नही हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच पर कब्जा कास्त माना जाता है इस प्रकार से प्रति. सं. 1 को वादी को उसके हिस्से की भूमि को कास्त करने से व अपने मकानों तक जाने से अवरुद्व करने का अधिकार नही है प्रति. सं. 1 अब वादी को धमकी दे रहा है कि जिस जगह वे वादी आवागमन कर रहा है जो ख.न. 115 में है जिसका नजरी नक्शा दावे के साथ पेश है उसमें जबरन रास्ता रोकने की नियत से निर्माण कार्य कर वादी को उसके मकानों व भूमि तक जाने से अवरुद्व करुंगा। यदि प्रति. सं. 1 अपने मनसुबों में कामयाब हो जाता है तो वादी को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नही किया जा सकता है तथा वादी व प्रति. सं. 1 के मध्य पुनः लडाई झगडा होने से भी इन्कार नही किया जा सकता है इस प्रकार से मुकदमेंबाजी बढेगीं व वाद मे पेचीदगीया पैदा होंगी। इस प्रकार इस भूमि में वादी का 71 / 163 हिस्सा है जिसमें से वादी ख.न. 115 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा कास्त करता है व मकान बनाकर आबाद है इसलिए वादी का प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है।

7. वाद वर्णित का खातेदार रणधीर पुत्र शीशराम फौत हो चुका है जिसके विधिक वारीसान प्रति. सं. 15 लगायत 17 है तथा खातेदार ज्यानकी पत्नी शीशराम फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रति. सं. 6 से 10 व 13 से 17 है जिनको पक्षकार बनाया गया है तथा प्रति. सं. 25 से कुछ प्रतिवादीगण ने ऋण ले रखा है इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया है तथा प्रति. सं. 26 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद पत्र नवीनतम जमाबन्दी के साथ प्रस्तुत किया गया है इसके पश्चात वादी द्वारा कोई रहन बेचान नही किया गया है।

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि –

1. कि वाके ग्राम ढाणी राधु स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 6 के ख. न. 108 रकबा 4.20 है0, ख.न. 113 रकबा 2.51 है0, ख.न. 115 रकबा 5.42 है0, ख.न. 116 रकबा 0.05 है0, ख.न. 117 रकबा 6.30 है0, ख.न. 49 रकबा 4.06 है0, ख.न. 5 रकबा 2.23 है0, ख.न. 53 रकबा 2.16 है0, [illegible] 78 रकबा 0.03है0, ख.न. 79 रकबा 0.03 है0, ख.न. 94 रकबा 0.19 है0, [illegible] 95 [illegible] 0.15 है0, ख.न. 96 रकबा 0.56 है किता 14 कुल रकबा 30.04 [illegible] रकबा 1.30 है. तथा 0.26 है. प्रति. सं. 5 के संयुक्त रखते [illegible] हुए वादी की भूमि व मकानों तक रास्ता कायम करते हुए खाता विभाजन किया ज[illegible] अथवा वादी का हिस्से अनुसार रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

कायम करते हुए खाता विभाजित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तथा प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वाके ग्राम ढाणी राधु स्थित भूमि ख.न. 115 रकबा 5.42 है. में वादी के हिस्से में आई भूमि व मकानों को जाने वाले रास्ते पर कोई निर्माण कार्य ना करें तथा ना ही उसको अवरुद्व करें तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि को कास्त करने से ट्रेक्टर, गाड़ी ले जाने से ना रोके जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 2 व 18 लगायत 21 श्री कृष्ण कुमार सैनी वकील उपस्थित आये जिन्होने वादी के दावे को स्वीकारते हुए इन संक्षिप्त तथ्यों के साथ अपना प्रतिदावा बाबत विभाजन हेतू पेश किया कि वाके ग्राम ढाणी राधु स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 6 के ख. न. 108 रकबा 4.20 है0, ख.न. 113 रकबा 2.51 है0, ख.न. 115 रकबा 5.42 है0, ख.न. 116 रकबा 0.05 है0, ख.न. 117 रकबा 6.30 है0, ख.न. 49 रकबा 4.06 है0, ख.न. 5 रकबा 2.23 है0, ख.न. 53 रकबा 2.16 है0, ख.न. 6 रकबा 2.15 है0, ख.न. 78 रकबा 0.03है0, ख.न. 79 रकबा 0.03 है0, ख.न. 94 रकबा 0.19 है0, ख.न. 95 रकबा 0.15 है0, ख.न. 96 रकबा 0.56 है किता 14 कुल रकबा 30.04 है. में प्रतिदावाकर्ता / प्रति. सं. 2 का 1 / 30 हिस्सा, प्रतिवादी / प्रतिदावाकर्ता सं. 18 लगायत 21 का प्रत्येक का 1 / 12 – 1 / 12 हिस्सा है तथा मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है व अपने हिस्से पर काबिज कास्त है अन्त में अनुतोष चाहा कि प्रतिदावा में वर्णित में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व बाहमी बंटवारे अनुसार प्रतिवादी / प्रतिदावाकर्ता सं. 2 व 18 लगायत 21 का खाता भी अन्य सह खातेदारन से अलग कर विभाजित किये जाने की कृपा करें। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 229 दिनांक 21.07.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 688 दिनांक 02.03.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली [illegible] जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम राधु की ढाणी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 6, में वादी व प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त [illegible] कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

– : आदेश : –

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता सं. 6 के ख. न. 108 रकबा 4.20 है0, ख. न. 113 रकबा 2.51 है0, ख. न. 115 रकबा 5.42 है0, ख. न. 116 रकबा 0.05 है0, ख. न. 117 रकबा 6.30 है0, ख. न. 49 रकबा 4.08 है0, ख. न. 5 रकबा 2.23 है0, ख. न. 53 रकबा 2.16 है0, ख. न. 8 रकबा 2.15 है0, ख. न. 78 रकबा 0.03 है0, ख. न. 79 रकबा 0.03 है0, ख. न. 94 रकबा 0.19 है0, ख. न. 95 रकबा 0.15 है0, ख. न. 96 रकबा 0.56 है किता 14 कुल रकबा 30.04 है. भूमि मे से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं 18 लगायत 21 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। फर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 26/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:24 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 109/2020 **जी.सी.एम.एस नम्बर** :– 2020/00229

सुलतानसिंह **ब–ना–म** सुभाषचन्द्र आदि

दावा बाबत –खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 2, 18 लगायत 21 की ओर से श्री कृष्ण सैनी एड0 की उपस्थिति मे तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद **श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी राधु तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता सं. 6 के ख. न. 108 रकबा 4.20 है0, ख. न. 113 रकबा 2.51 है0, ख. न. 115 रकबा 5.42 है0, ख. न. 116 रकबा 0.05 है0, ख. न. 117 रकबा 6.30 है0, ख. न. 49 रकबा 4.06 है0, ख. न. 5 रकबा 2.23 है0, ख. न. 53 रकबा 2.16 है0, ख. न. 6 रकबा 2.15 है0, ख. न. 78 रकबा 0.03 है0, ख. न. 79 रकबा 0.03 है0, ख. न. 94 रकबा 0.19 है0, ख. न. 95 रकबा 0.15 है0, ख. न. 96 रकबा 0.56 है किता 14 कुल रकबा 30.04 है. भूमि मे से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं 18 लगायत 21 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/6/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना